अध्याय 3: शासन, जोखिम तथा अनुपालन

व्यापार सुविधा उपायों के क्रियान्वयन ने अन्य बातों के साथ–साथ करार (टीएफए) को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता का सृजन किया। करार की धारा 1 के अनुच्छेद 1-5 मुख्य रूप से पारदर्शिता मामलों को सम्बोधित करते है, अनुच्छेद 6-11 प्रमुखतः आयात हेतु फीस, प्रभार तथा औपचारिकताओं से संबंधित है तथा अनुच्छेद 12 एवं 13 संस्थागत व्यवस्थाओं को संबोधित करते है। टीएफए की धारा 11 जिसमें विशेष तथा भिन्न उपचार सम्मिलित है, भारत जैसे देश के विकास के लिए प्रावधान करती है।

डीओसी ने ऐ कुशल व्यापार सुविधा तंत्र बनाने के लिए अधिसूचित विदेश व्यापार नीति हेतु अपने लिए एक सामरिक योजना प्रस्तावित की तथा व्यापार प्रक्रियाओ को सरल करने और संव्यवहार लागत को कम करने के लिए ढांचा परिणाम बनाए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संव्यवहार लागत पर टास्क फोर्स को निम्नलिखित के लिए बनाया गया था:

I. सभी पणधारको की आवश्यकता को पूरा करना
II. प्रारम्भ से अन्त तक व्यापार प्रक्रिया को कवर करना
III. एक एकल समेकित प्रणाली लागू करना
IV. शासन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को सक्षम करना
V. एक आश्वासन कार्यढांचा प्राप्त करना।

सामरिक योजना ने एक उपयुक्त मॉनीटरिंग प्रणाली के साथ संव्यवहार लागत को कम करने के लिए भारित सामरिक पहल की परिकल्पना की। निम्नलिखित को आन्तरिक रूप से लेखापरीक्षित, मॉनीटर, मूल्यांकित तथा निर्देशित किया जाना था।

I. निर्यात संवर्धन योजना के परिणाम।
II. विभिन्न व्यापार करारो का प्रभाव,
III. विभिन्न सूचना प्रणाली अर्थात सीमाशुल्क, डीजीएफटी, सेज आदि के लिए आईसीटी का निष्पादन।

IV. संव्यवहार लागत रिपोर्टो के कार्यान्वयन की लागत तथा प्रभाव ।

V. प्रक्रियाओ की आन्तरिक लेखापरीक्षा।

लेखापरीक्षा ने आन्तरिक नियंत्रण का विश्लेषण किया तथा यह पाया कि पच्चीस प्रतिशत निर्यात के विकास में वृद्धि के लिए व्यापार वातावरण सुधारने हेतु व्यापार सुविधा उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भार को संव्यवहार लागत पर टास्क फोर्स के गठन के लिए सफल संकेतको अथवा सीमित परिणाम के साथ संव्यवहार लागतो को कम करने का उत्तरदायी ठहराया गया। अन्य विभागो से किसी विशिष्ट निष्पादन आवश्यकता को परिकल्पित नहीं किया गया तथापि, डीजीएफटी/डीओआर ने विभिन्न एजेंसियो की भागीदारी को वर्णित किया है। विभागीय उद्देश्यों को पूरा करने में किसी विशिष्ट मूल्याकन, मॉनीटरिंग या निर्देशात्मक आउटपुट को निर्धारित नहीं किया गया।

(क) निर्यात संवर्धन योजनाओं को निर्यात संवर्धन महानिदेशालय (डीजीईपी), सीबीईसी या सहायता, लेखो तथा लेखापरीक्षा के नियंत्रक, आर्थिक मामला विभाग द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किया गया। सीसीए, डीओसी ने कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी।

डीजीएफटी की जांच यूनिट ने इसकी आन्तरिक रूप से लेखापरीक्षा नहीं की थी। तथापि, डीजीएफटी के पास एक पश्च मामला लेखापरीक्षा विंग है जहां 5 से 10 प्रतिशत की सीमा तक लाइसेंसों/ब्रांड दरो की लेखापरीक्षा की जाती है।

(ख) विभिन्न व्यापार करारो के प्रभाव को आन्तरिक रूप से लेखापरीक्षित या निर्धारित नहीं किया गया हैं क्योंकि डीओसी द्वारा यह अनुभव किया गया कि व्यापार करार तथा उनके सहयोग का याथार्थ प्रभाव इन आरटीएज़ के अपने कोर्स पूर्व क्रियान्वयन करने के पश्चात प्रकट होगा।

(ग) डीओसी या डीओआर आदि द्वारा सूचना प्रणाली यानि आईसीईएस 1.5, आईसीईजीएटीई, सेज आनलाइन डीजीएफटी (ईडीआई), आरएमएस, डीजीओवी की कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थीं।

(घ) डीजीएफटी (जनवरी 2015) का मत था कि वर्ल्ड बैंक के अध्ययन ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (इज ऑफ डूइंग बिजनेस) में संवव्यहार लागत अध्ययनों की लागत तथा प्रभाव के विश्लेषण के उद्देश्य को पूरा किया। डीजीएफटी ने आगे बताया कि कार्यकारी दल की सिफारिशों को लागू करने के लिए उपलब्धियाँ विविध एजेंसियों/विभागों/मंत्रालयों की स्वीकृति/तत्परता पर निर्भर करती हैं।

डीओआर (जनवरी 2015) ने यह भी दर्शाया कि आयातित/निर्यातित माल की मंजूरी मुख्य रूप से पोर्ट संकुलन, अन्य विनियामक एजेसियों जो अभी भी मैन्यूअली मोड में कार्य कर रही हैं, से समय पर प्रतिक्रिया के अभाव के कारण हैं।

(ड़) डीओसी के मुख्य लेखा नियंत्रक तथा डीओआर के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक तथा इसके क्षेत्रीय संगठन अधितकर स्थापना लेखापरीक्षा कर रहे हैं तथा अपने जोखिम निर्धारण के अनुसार नियंत्रण आधारित आवश्वासन प्रदान नहीं करते। राजस्व तथा व्यय लेखों को बनाने के लिए ई-लेखा ई-पीएओ तथा कॉमपेक्ट को आईसीआी सेल्यूशनों के रूप में नियोजित किया गया है। लेखापरीक्षा से पता चला कि पीएओ प्रणाली कर लेखांकन के वर्गीकरण तथा विभिन्न सूचना सेटों के बीच समंजन में विभिन्न कमियों से ग्रस्त थी।

डीजीएफटी, डीओआर तथा उनके आन्तरिक नियंत्रण मूल्यांकन की प्रतिक्रिया से यह प्रमाणित हुआ कि अन्तर-मंत्रालय सम्बन्धी सहयोग को सम्बन्धित कार्य को स्वीकृत करने के लिए एक साथ विभिन्न एजेंसियों को लाने तथा उन्हे समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने की तैयारी करने के लिए बढ़ाया जा सकता हैं।

व्यापार सुविधा उपायों के क्रियान्वयन में चूकों के विशिष्ट मामलों ने इडीआई तथा मैन्युअल परिवेश दोनों में आयात, निर्यात, मौजूदा प्रावधानों की व्याख्या, आन्तरिक नियंत्रण तथा अवसंरचना आदि की प्रक्रिया पर मामले वर्णित किए हैं।

लेखापरीक्षा का मत हैं कि डीओसी/डीओआर में विभिन्न सूचना प्रणाली की समवर्ती लेखापरीक्षा के लिए एक आवश्वासन संरचना को आन्तरिक रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, व्यापार नीतियों के प्रभाव निर्धारिण तथा सरलीकृत प्रक्रिया के सव्यंवहार विश्लेषण को सूचित किए जाने की आवश्यकता हैं।